प्रकरण संख्याः– 07/2015

किस्म मुकदमाः– 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

अदालत– **जिला कलक्टर** मुकाम **अजमेर**

शेरा पुत्र उरजा रावत नि0 हाथीखेडा **बनाम श्रीमती जमनी बेवा नंगर नि0 हाथीखेडा व अन्य**

तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.01.2023	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष अभिभाषक उपस्थित। उभय पक्ष को पोषणीयता पर सुना गया । रेस्पोडेन्ट संख्या 5 के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत किये जाने के पूर्व ही रेस्पोडेन्ट संख्या 7 का स्वर्गवास हो चुका था जिसका अंकन तामिल कुलन्दा द्वारा माननीय न्यायालय की ओर से प्रथम बार जारी नोटिस दिनांक 06.04.2015 पर दो गवाहन की उपस्थिति में अंकित रिपोर्ट से स्पष्ट है जिसके आधार पर न्यायालय आदेशिक पत्रावली दिनांक 19.05.2015 एवं 30.06.2015 में उल्लेख किया गया है परन्तु अपीलान्ट द्वारा न्यायालय आदेशिक दिनांक 19.05.2015, 30.06.2015 में दिये गए आदेशो की पालना नही की गई है तथा मृतक व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत होने से पोषणीय नहीं होकर निरस्त फरमाये जाने योग्य है। साथ ही निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट सं. 5 श्रीमती श्रवणी देवी का स्वर्गवास भी सन् 2020 में हो चुका है जिसकी विधिवत सूचना दिनांक 06.09.2022 को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना पत्र की प्रति अपीलान्ट अभिभाषक को उपलब्ध करवा दी गई इसके उपरान्त भी अपीलान्ट द्वारा प्रकरण में कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई तत्परता प्रकट नहीं की गई है अतः अपील मृतक व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत होने तथा सात वर्षो से भी अधिक अवधि तक न्यायालय आदेशो की पालना नहीं किये जाने से अपील अपीलान्ट निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। अपीलान्ट अभिभाषक द्वारा रेस्पोडेन्ट अभिभाषक के कथनों को अस्वीकार कर निवेदन किया कि प्रस्तुत अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत होने से अबेटमेन्ट के प्रावधान वर्तमान प्रकरण पर लागू नहीं होते है इस कारण रेस्पोडेन्ट अभिभाषक की आपत्ति को निरस्त किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किये जाने का निवेदन किया गया। साथ ही जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। हमने उभय पक्ष की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली पर प्रस्तुत रेस्पोडेन्ट संख्या 7 के नोटिस पर तामिल कुलन्दा द्वारा 2 गवाहन के हस्ताक्षर करवाते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 7 का स्वर्गवास हो जाने की रिपोर्ट अंकित की गई है। जिसे न्यायालय आदेशिक दिनांक 19.05.2015 में न्यायालय द्वारा उल्लेख किया गया है। जिसकी विधिवत जानकारी अपीलान्ट व उसके अधिवक्ता को दिनांक 19.05.2015 से विधिवत रूप से रही है परन्तु उनके द्वारा प्रकरण में किसी प्रकार की कोई रूचि प्रकट नही की गई है, तथा न ही उक्त सम्बन्ध में आज दिवस को भी कोई कार्यवाही किया जाना प्रकट होता है तथा ना ही अपीलान्ट व उसके अधिवक्ता द्वारा यह प्रमाणित किया जाने का प्रयास किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 7 का स्वर्गवास अपील प्रस्तुत किये जाने के पश्चात हुआ हो, साथ ही	

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

अपीलान्ट व उसके अधिवक्ता द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की मृत्यु के सम्बन्ध में दिनांक 06.09.2022 को लिखित रूप से सूचना प्राप्त होने के बावजूद भी आज दिवस तक किसी प्रकार की कार्यवाही विधिक वारिसान सम्बन्धी कार्यवाही नही की गई है तथा उक्त वर्णित सभी विधिक आधारो के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई सन्तोषप्रद उत्तर भी निवेदन नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट मृतक व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत होने तथा न्यायालय आदेश दिनांक 19.05.2015, 30.6.2015, 06.09.2022 एवं 26.12.2022 की पालना नही किये जाने से रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की आपत्ति को स्वीकार किया जाकर अपील अपीलान्ट आदेश 17 नियम 2 व 3 सी.पी.सी एवं आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी के तहत खारिज की जाती है। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर
अजमेर